न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
एम0एस0 03 / 2021

आदेश

31.01.2022 वादी की ओर से पैरवी है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार दिनांक 29.01.22 को दालिख आवेदन को संचालित करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा दिनांक 29.01.2022 को अन्दर आदेश 6 नियम 17 व 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत वाद पत्र में संशोधन करने का आवेदन दायर किया है। आगे कथन किया है कि यह वाद ग्रहण हेतु लम्बित है। टाईपिंग भुलवश वाद पत्र के पैरा 04 में जमीन के पश्चिमी बाउन्ड्री में लेख्यकारी के जगह लेख्यधारी टाईपिंग हो गया है और वाद पत्र में पैरा का नम्बर 04 एवं 04 (ए) के स्थान पर दो बार 04 अंकित हो गया है जिसे सुधार किया जाना है। आगे कथन किया गया है उपरोक्त सुधार से वाद की मुल प्रकृति पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः निवेदन है कि वाद पत्र में संशोधन करने का आदेश देने की कृपा की जायदिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद अभी ग्रहण बिन्दु पर सुनवाई हेतु चल रहा है। उपरोक्त सुधार से वाद के प्रकृति पर कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़ता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 29.01.2022 को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय सीमा के अन्दर वाद पत्र में संशोधन करें।

वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश